न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :— प्रियंका जोधावत, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 55/2018 (उदयपुर डिक्री)

जगदी''ा पिता रामलाल जी मेघवाल, निवासी बाठेडाकला, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

गोपीलाल पिता नवला जी मेघवाल, निवासी कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्त.अधि.—1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर दिनांक 27.12.2016 प्र.सं. 57/2016

———/———

उपस्थित(वक्त बहस) 1. श्री रणजीत सिंह अभिभाशक अपीलान्ट

2. श्री सुरे''ा श्रीमाली अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट

———:::———

निर्णय दिनांक

30—08—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 92—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सतावल में आराजी नंबर 312/48 व 313/49 किता 2 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। इसी आराजी मौजा बाठेडाखुर्द की आराजी नंबर 1869/1337 किता 1 रकबा 6 बीघा भूमि में 1/2 हिस्सा दर्ज है। वादी अपने कब्जे का''त की उक्त भूमि का उपयोग—उपभोग करता चला आ रहा है, जिकि उक्त भूमि से

सटमा प्रतिवादी की भूमि से वह वादी के भाान्ति पूर्वक उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करता है। अतः प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की साक्ष्य लेकर एवं बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 27–12–2016 से वादी का स्थायी निशेधाज्ञा का वाद डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 08–06–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को तलब किया गया, जिस पर उनके अधिवक्ता श्री सुरे"ा श्रीमाली उपस्थित हुए एवं सर्वप्रथम उन्होंने मयाद के बिन्दु पर अपनी आपत्ति प्रकट की। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्रकरण में बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03–06–2018 को तब हुई जब प्रत्यर्थी द्वारा मौके पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

उक्त आवेदन के खण्डन का जवाब रस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय का सम्मन प्राप्त हुआ था तथा वह न्यायालय में उपस्थित भी हुआ, किन्तु बाद में उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 03–06–2018 को होने का कथन सर्वथा गलत है, क्योंकि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय की कार्यवाही का ज्ञान सम्मन प्राप्ति की दिनांक से ही था। अतः अपील बेरून मयाद होने से खारिज की जावे।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय का रजिस्टर्ड सम्मन

अपीलान्ट/ प्रतिवादो स्वयं को प्राप्त हुआ है, किन्तु वे अधिनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में उपस्थित नहीं रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 27–12–2016 की अपील इस न्यायालय में 60 दिवस में अर्थात दिनांक 26–02–2017 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, जबकि इस न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 08–06–2018 को अर्थात करीब 1 वर्श 4 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए उसके द्वारा जो कारण अपने आवेदन में द''ााये गये हैं, वह न तो उचित हैं न ही पर्याप्त। जबकि देरी से अपील प्रस्तुत करने के मामले में प्रत्येक दिन की देरी का स्पश्ट किया जाना आव''यक होता है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से इसी स्टेज पर खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–12–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–08–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम...............
उदयपुर.............
व इजलास .... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....
....

जगदी"ा पिता रामलालजी मेघवाल, बनाम गोपीलाल पिता नवलाजी मेघवाल,
नि0 बाठेडाकला, तह0 वल्लभनगर, निवासी कुराबड़, तहसील गिर्वा,
जिला उदयपुर जिला उदयपुर

अपील नं॰........55/2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.....
...........वल्लभनगर.......... मुकाम................मुवर्खे.............27.............माह..............
12............2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........30....माह........08.......सन् 2019 रूबरू........ पक्षकारान
व हाजरी..........श्री रणजीत सिंह........मिनजानिब अपीलान्ट व..........श्री सुरे"ा श्रीमाली..........

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–12–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....
अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........30......माह.......08...
........2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील...... ..... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये

दिलाया गया हो।